न्यायालयः– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी	–	**भीम सिंह मीणा (आर.जे.एस.)**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	–	814/2015
सी.आई.एस. नंबर	–	4422/2015

01. राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, सांचौर, जिला–जालोर
........अभियोगी

बनाम

01. महेन्द्र कुमार उर्फ अकी पुत्र शंकरलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी शिवनाथपुरा, पुलिस थाना सांचौर, जिला–जालोर।

........अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

01 सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
02 श्री इब्राहिम शाह, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: ***दिनांकः 26.05.2026***

01. प्रस्तुत प्रकरण पुलिस थाना सांचौर ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत किया, जो फौजदारी मूल प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर हुआ, उक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण होने पर इस निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.04.2015 वक्त 07.15 पीएम पर प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र सुगनाराम निवासी कमल नगर जिला–झुन्झनु हाल खेतेश्वर होटल सांचौर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस मजमून की पेश की कि वह सांचौर में खाना की होटल चलाता है। दिनांक 07.04.2015 को रात्रि में करीब 08.00 बजे के लगभग वह तथा रमेश लोहाणा, नवाराम चौधरी उसकी होटल पर खड़े थे तब अकी भाट पुत्र शंकरलाल भाट निवासी सांचौर शराब पीकर आया तथा उसे गाली–गलौच करने लगा तो रमेश व नवाराम ने समझाया व पुलिस को फोन करने पर पुलिस, वहां आई तो अकी भाट वहां से भाग गया था। दिनांक 08.04.2015 को सुबह

करीब 08.00 बजे के लगभग वह तथा मानाराम कुम्हार, हंसाराम मेघवाल, दीपाराम कोली सहित उसकी होटल के आगे खड़े थे। तब उक्त मुलजिम अकी भाट पुनः हाथ में लाठी लेकर आया तथा उसे धमकी दी कि तुने रिक्शा कैसे खरीदा है। तु इसे कितने दिन अपने पास रखता है उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया तो वह डर के मारे होटल के अंदर गया तो पीछे–पीछे अकी भाट पूर्व तैयारी से होटल में घुसकर उसके साथ लाठी से मारपीट करने लगा लाठी उसके द्वारा पकड़ लेने पर अकी भाट ने उसकी बनियान पहनी पकड़ लिया जिससे उसकी बनियान फाड़ दी, उसके गले में पहनी चैन को झपटा मारी, जिससे उसकी चैन तोड दिया। अकी भाट ने अपने हाथ के नाखुनों से दाहिने भाग के शरीर में जगह–जगह खरोचे लगाई है, जिससे खून निकला है। तब पास खड़े मानाराम व हंसाराम ने बीच–बचाव कर छुड़वाया तो जाते समय उनके ऊपर पत्थर फेंके......... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांचौर में मुकदमा नंबर 132/दिनांक 09.04.2015 अंतर्गत धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त महेन्द्र कुमार के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अभियुक्त के विरूद्व आरोप–पत्र पेश होने पर उनके विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 452 323 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। बाद बहस चार्ज अभियुक्त महेन्द्र कुमार को धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन समझ आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 नवाराम, पी.डब्ल्यू. 02 मानाराम, पी.डब्ल्यू. 03 हंसाराम, पी.डब्ल्यू. 04 बसंत सिंह, पी.डब्ल्यू. 05 रमेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 06 डॉ. मुकेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 07 मांगीलाल, पी.डब्ल्यू. 08 किशनलाल, पी.डब्ल्यू 09 दीपाराम के बयान लेखबद्व कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1, पुलिस बयान हंसाराम प्रदर्श पी 2, चोट प्रतिवेदन सुरेश प्रदर्श पी 3, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम महेन्द्र कुमार प्रदर्श पी 4 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियुक्त महेन्द्र कुमार को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया, जिसमें उसने गवाहान् के बयानों का गलत होना एवं स्वयं का निर्दोष होना कथन किया। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

06. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने

दौराने बहस निवेदन किया कि गवाहान् ने अपनी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित होता है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध कर उचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस में निवेदन किया कि गवाहान् ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। स्वयं परिवादी सुरेश न्यायालय में पेश नहीं हुआ है। चिकित्सक गवाह डॉ0 मुकेश कुमार पी.डब्ल्यू. 6 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझावात्मक प्रश्न को स्वीकार किया गया है कि उक्त चोट 12 घण्टे पहले की है तथा कोई इंसान दौड़ता हुआ गिरे या मोटरसाइकिल चलाता हुआ गिरे तो इस तरह की चोटें आना संभव है। गवाह बयानात् में गंभीर विरोधाभास है एवं पारस्परिक साक्ष्य सम्पुष्टि का अभाव है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

01. *''क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.04.2015 को सुबह 08.00 एएम या उसके लगभग सरहद मौजा सांचौर में स्थित खेतेश्वर होटल में परिवादी/प्रार्थी सुरेश कुमार के साथ मारपीट करने की पूर्व तैयारी के साथ परिवादी की मौजा सांचौर स्थित खेतेश्वर होटल में अनाधिकृत प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार किया तथा प्रार्थी सुरेश कुमार के साथ कुन्द आलय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित कीं?''*

02. ''यदि हां, तो अभियुक्त किस दंड का भागीदार हैं?''

09. पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की समग्र विवेचना की गयी एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। न्यायालय में आरोप पत्र पेश होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी कहानी की समर्थन में कुल 09 गवाह परीक्षित करवाए गए।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू. 01 नवाराम है, जो नक्शा मौका का गवाह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि करीब दस साल पहले की बात है सुबह करीब नौ बजे सुरेश के साथ मारपीट हुई थी इस संबंध में पुलिस सांचौर में खेतेश्वर होटल में आयी थी घटना स्थल का

नक्शा मौका चेक किया था जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है उसके रूबरू कोई घटना नहीं हुई थी पुलिस आयी तब वह बाद में आया था व किसने किसके साथ मारपीट की उसे पता नहीं।

– उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि दूसरे दिन मारपीट की बात सुनी थी, यह कहना गलत है कि सुरेश के साथ महेन्द्र ने मारपीट की हो इसकी उसे जानकारी हो। वह अभियुक्त महेन्द्र कुमार को नहीं जानता। यह कहना गलत है कि मुलजिम को बचाने के लिए आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है। उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की उसे जानकारी नहीं है, उसने सिर्फ हस्ताक्षर किए थे।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 02 मानाराम है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब दस साल पूर्व की बात है वह ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तारीख उसे याद नहीं रहती है। सांचौर में खेतेश्वर होटल के पास में उसकी चाय की दुकान है। उस रोज सुबह करीब आठ बजे वह दीपाराम व खेतेश्वर होटल के मालिक सुरेश कुमार तीनों होटल के बाहर खड़े थे तभी एक भाट हाथ में लाठी लेकर आया और सुरेश के साथ मारपीट शुरू कर दी तभी सुरेश भागकर अपनी खेतेश्वर होटल में घुस गया। भाट उसके पीछे–पीछे भागकर होटल में घुस गया और सुरेश के साथ होटल में मारपीट शुरू कर दी तो उसने और दीपाराम ने बीच–बचाव कर सुरेश को छुड़ाया था।

– उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में कथन किए हैं कि सुरेश कुमार जाति जाट से है इसके अलावा उसे सुरेश कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुरेश के साथ मारपीट हुई थी, चोटें कहां–कहां लगी थी उसे याद नहीं है। सुरेश की होटल का दरवाजा किस दिशा में था वह नहीं बता सकता। घटना के वक्त अड़ोस–पड़ोस के कौन–कौन दुकानदार मौके पर आए थे वह नहीं बता सकता।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 03 हंसाराम है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि करीब दस साल पूर्व की बात है वह मजदूरी करने के लिए सुबह आठ बजे जा रहा था। खेतेश्वर होटल के आगे हो–हल्ला हो रहा था तब वह वहां गया तो उसे पता चला कि सुरेश के साथ मारपीट हुई है। मारपीट किसने की उसे पता नहीं। उसेन मारपीट होते नहीं देखा।

– उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह में उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि सुरेश के साथ मारपीट हुई थी; यह कहना गलत है कि उसने मारपीट होते देखी थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी 2 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसे बयान देने से इंकार किया। उक्त गवाह ने जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में कथन किए हैं कि उसे कोई जानकारी नहीं कि सुरेश के साथ मारपीट किसने की।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 04 बसंतसिंह है, जो नक्शा मौका का गवाह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 10.04.2015 को सुबह के करीब 9 बजे की बात है। सांचौर में विवेकानंद सर्किल से थोड़ा आगे गली में सुरेश कुमार की होटल आयी हुई है जहां पर उसके साथ मारपीट हुई थी। इस संबंध में उस रोज पुलिस मौके पर सुरेश के होटल पर आयी थी एवं घटना का नक्शा मौका तैयार किया था जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

– उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी थी, मारपीट किस जगह हुई उसे पता नहीं है। मारपीट के समय वह मौके पर नहीं था, दुकान पर पुलिस आयी थी। घटना स्थल के अड़ोस–पड़ोस क्या है उसे याद नहीं है। मौके पर पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की थी उसे पता नहीं है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 05 रमेश कुमार है, दिनांक 07.04.2015 को रात्रि करीब 8 बजे की बात है। वह सुरेश कुमार की होटल पर खड़ा था तभी अक्की भाट वहां पर आया और सुरेश के साथ गाली–गलोज करने लगा तब उसने व नवाराम ने अक्की भाट को समझाकर भेजा, फिर उन्होंने दूसरे दिन सुना कि इसी रंजिश के कारण अक्की भाट ने सुरेश कुमार की होटल में जाकर सुरेश कुमार के साथ मारपीट की। यह बात उसे सुरेश कुमार ने बतायी थी।

– उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिहर में कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी थी, मारपीट किस जगह हुई उसे पता नहीं, होटल पर हुई होगी। मारपीट के समय वह मौके पर नहीं था।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 06 डॉ मुकेश कुमार है, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 09.04.2015 को वह सीएचसी सांचौर में एमओ के पद पर कार्यरत था उस रोज पुलिस थाना सांचौर की तहरीर पर उसने मजरूब सुरेश कुमार पुत्र सुजानाराम उम्र 25 वर्ष जाति जाट

निवासी सांचौर तहसील सांचोर के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था. चोटों का मुआयना निम्नानुसार है चोट संख्या 01. दाहिने कंधे के पास रगड का निशान पांच इण्टु एक सेमीमीटर, नंबर 02. दाहिनी टांग पर रगड मय लालिमा टु इण्टु वन सेमी, नंबर 03. सीने के दाहिने भाग रगड का निशान दस इण्टु एक सेंटीमीटर, नंबर 04 गर्दन के दाहिने भाग रगड का निशान चार इण्टु एक सेटीमीटर उपरोक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की एवं भौंटे हथियार से कारित थी चोटों की अवधि परीक्षण के समय बारह घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मजरूब सुरेश के हस्ताक्षर हैं।

– उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि पुलिस द्वारा उसे सुरेश कुमार के चोटों का परीक्षण करने हेतु दी गई तहरीर पत्रावली पर नहीं है अजखुद कहा कि पुलिस वाले जाने। यह कहना सही है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 के अनुसार ड्रयुरेशन ऑफ इंजरी परीक्षण करने से बारह घंटे पहले की थी। यह कहना सही है कि किसी धारदार हथियार की चोट न होकर रगड के निशान है। यह कहना सही है कि कोई इंसान दौड़ता हुआ गिरे या मोटरसाइकिल चलाता हुआ गिरे तो इस तरह की चोट आना संभव है।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू. 07 मांगीलाल है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 17.04.2015 को पुलिस थाना सांचौर में हेड कानि० के पद पर पदस्थापित था। उस रोज प्रकरण संख्या 132/2015 अन्तर्गत धारा 452, 323 भां०दं०सं० की पत्रावली मय मुर्तिबा फर्दात के अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान गवाह मानाराम, रमेश कुमार के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 10.06.2015 को मुलजिम महेन्द्र कुमार उर्फ अकील को जरिये फर्द प्रदर्श पी 04 के गिरफतार किया, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान के इ से एफ मुलजिम महेन्द्र के जी से एच मुलजिम के भाई जगदीश के व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से व पत्रावली पर आये दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर मुलजिम महेन्द्र कुमार के विरूद्व धारा 452, 323 भां०दं०सं० में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली आरोप पत्र पेश किये जाने हेतु थानाधिकारी के समक्ष पेश की। जिन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में पूर्व अनुसंधान अधिकारी श्री तेजाराम ए०एस०आई० की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। वह इनके साथ कार्य करने से तेजाराम जी के हस्ताक्षर से परिचित है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 पर इ से एफ पर चोट

प्रतिवेदन सुरेश कुमार, प्रदर्शपी 03 पर सी से डी तेजाराम एएसआई के हस्ताक्षर है। गवाह सुरेश कुमार, नवाराम, दीपाराम, हँसाराम के धारा 161 के बयान तेजाराम एएसआई द्वारा लिये गये उक्त सभी बयानों पर सी से डी तेजाराम जी के हस्ताक्षर है।

– उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि घटना की रिपोर्ट 35 घण्टे देरिना से पेश की; यह कहना सही है कि एफआईआर पर पुलिस पृष्ठांकन पर पीडित की चोट का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि खेतेश्वर होटल का मालिक कौन था, इसका कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है, अजखुद कहा कि उक्त होटल का संचालन पीड़ित सुरेश करता था; यह कहना सही है कि उक्त होटल का संचालन सुरेश करता था इस बाबत् कोई किराया चिट्टी पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में लाठी से मारपीट करने का कथन किया है लेकिन दौरान अनुसंधान ऐसी कोई लाठी बरामद नहीं हुई। यह कहना गलत है कि उसने दूषित अनुसंधान कर मुलजिम के खिलाफ गलत रूप से अपराध प्रमाणित माना हो।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 08 किशनलाल है, जो फर्द गिरफ्तारी का गवाह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 10.06.2015 को पुलिस थाना सांचौर में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज प्रकरण संख्या 132/2015 में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल हैड कानि. ने उसके व भैरूसिंह कानि. के रूबरू मुलजिम महेन्द्र कुमार उर्फ अक्की को जरिए फर्द प्रदर्श पी 04 के गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

– उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि उस समय श्री मांगीलाल हैड कानि0 के अधीन था। यह कहना गलत है कि वह उनके अधिनस्थ होने से उनके कहने से झूठा साक्षी बना हो।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह 09 दीपाराम है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि वर्ष 2015 की बात है वह खेतेश्वर होटल सांचौर में काम करता था होटल का मालिक सुरेश था शाम को करीब 8 बजे की बात है वह, सुरेश व दो तीन अन्य लोग होटल पर ही थे, तभी महेन्द्र वहां आया और सुरेश के साथ झगड़ा करने लगा, उस समय महेन्द्र वापिस चला गया तथा दूसरे दिन महेन्द्र वापिस होटल पर आया और सुरेश कुमार के साथ मारपीट करने लगा, तो उसने व दो तीन अन्य लोगों ने महेन्द्र को छुड़ाया। मारपीट से सुरेश के पैर व कंधे पर चोट आई थी।

– उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में कथन किए हैं कि उस समय सुरेश उसे होटल पर काम करने की एवज में तीन हजार रूपये महिना देता था, उसके साथ अन्य स्टाफ के तीन लोग थे, जिसमें एक का नाम मोहन था बाकी के नाम याद नहीं हैं, होटल का दरवाजा पूर्व दिशा में है, होटल में काउन्टर दरवाजे से प्रवेश करते ही दाई तरफ था, जब मुलजिम होटल पर आया तब काउन्टर पर सुरेश बैठा था, दूसरी बार जब मुलजिम महेन्द्र होटल पर आया तो वे छः लोग अन्दर खाना खा रहे थे, मानाराम व लुम्बाराम को जानता हूँ जो होटल में काम करते थे, नवाराम व पदमाराम को वह जानता है, जो होटल पर ही काम करते थे, वह हंसाराम पुत्र मंजीराम को जानता है जो होटल में ही काम करता हैं। वह बसन्त सिंह पुत्र सरदार सिंह को जानता है, जो होटल का स्टाफ था, रमेश कुमार पुत्र चेनाराम को वह जानता है, जो होटल पर ही काम करता हैं। यह कहना गलत हैं कि वह वक्त घटना मौके पर हाजिर नही था तथा झूठा साक्षी बना है, यह कहना सही है कि वह माधोपुरा चितलवाना का रहने वाला है तथा खतेश्वर होटल के पडौस का निवासी नहीं है।

19. पत्रावली के आद्योपान्त परिशीलन एवं न्यायालय में आई उपरोक्त समग्र साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान् में गवाह पी.डब्ल्यू 01 नवाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर करने बाबत् कथन किए हैं तथा आगे उक्त गवाह ने कथन किया कि उसके रूबरू कोई घटना नहीं हुई थी। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा सहायक अभियोजन द्वारा जिरह में भी उक्त गवाह ने इस बात को सही होना स्वीकार किया कि उसने दूसरे दिन मारपीट की बात सुनी थी। उसे यह जानकारी नहीं कि किसने किसके साथ मारपीट की। इस प्रकार उक्त गवाह अभियोजन कहानी का समर्थन करने में असमर्थ रहा है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 04 बसंतसिंह ने भी अपने मुख्य परीक्षण नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर करने बाबत् कथन किए हैं तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह के दौरान इस बात को सही होना स्वीकार किया है कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी थी, मारपीट किस जगह हुई उसे पता नहीं। गवाह पी.डब्ल्यू 2 मानाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा मारपीट करना बताया, किंतु जिरह में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि उसे यह ज्ञात नहीं कि परिवादी को कहां–कहां चोट लगी थी तथा घटना स्थल एवं आसपास की परिस्थितियों के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी प्रकट करने में असमर्थ रहा। इस प्रकार उक्त गवाहान् के कथनों में आवश्यक तथ्यात्मक स्पष्टता एवं स्वाभाविकता का अभाव रहा है। गवाह

पी.डब्ल्यू 3 हंसराम ने अपने बयानों में केवल इतना कहा कि उसे जानकारी मिली कि सुरेश के साथ मारपीट हुई थी, किंतु जिरह के दौरान स्पष्ट रूप स्वीकार किया कि उसने स्वयं मारपीट होते नहीं देखी तथा उसे यह भी ज्ञात नहीं की मारपीट किसने की। अतः उक्त गवाह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होकर केवल सुनी–सुनाई साक्ष्य देता है।

गवाह पी.डब्ल्यू 05 रमेश ने मुख्य परीक्षण में केवल पूर्व दिवस की कहासुनी का उल्लेख किया तथा अगले दिन की घटना के संबंध में जानकारी परिवादी सुरेश द्वारा बताई गई होना कहा। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने स्वयं ने मारपीट होते नहीं देखी। गवाह पी.डब्ल्यू 06 डॉ मुकेश कुमार ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में इस बात को स्वीकार किया कि चोटें परीक्षण से लगभग 12 घण्टे पहले की थी तथा इस प्रकार की चोटें किसी व्यक्ति के दौड़ते हुए गिर जाने अथवा मोटरसाइकिल से गिरने पर भी संभव हो सकती है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य भी अभियोजन कहानी का पूर्ण समर्थन करने में असमर्थ रहा है। गवाह पी.डब्ल्यू 07 मांगीलाल, जो प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जिसने संपूर्ण अनुसंधान कर अभियुक्त महेन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली आरोप पत्र पेश किए जाने हेतु थानाधिकारी के समक्ष पेश करने का कथन करता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में उक्त गवाह ने इस बात को सही होना स्वीकार किया है कि घटना की रिपोर्ट लगभग 35 घण्टे की देरी से दर्ज हुई। आगे उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि परिवादी द्वारा लाठी से मारपीट का आरोप लगाए जाने के बावजूद अनुसंधान के दौरान कोई लाठी बरामद नहीं हुई। गवाह पी.डब्ल्यू 09 दीपाराम औपाचारिक गवाह है, जिसने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा मारपीट करना बताया, किंतु जिरह में यह तथ्य सामने आया कि वह परिवादी की होटल में काम करता था एवं परिवादी से वेतन प्राप्त करता था इस प्रकार उक्त गवाह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गवाह नहीं माना जा सकता है।

20. उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर न्यायालय का यह विनम्र मत है कि परिवादी सुरेश को बार–बार तलब करने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर अभियोजन पक्ष का समर्थन करने हेतु परीक्षित नहीं हुआ। अभियोजन का मुख्य साक्षी न्यायालय में उपस्थित न होने से अभियोजन कहानी का मूल आधार ही कमजोर हो जाता है। परिवादी द्वारा

प्रस्तुत एफआईआर घटना दिनांक से लगभग 35 घण्टे विलंब से दर्ज कराई गई है, जबकि उक्त विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। विलंब से दर्ज रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद बनाती है। आगे प्रकरण में चिकित्सकीय साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि पीडित के चोट प्रतिवेदन में वर्णित चोटें परीक्षण से लगभग 12 घंटे पूर्व की होना अंकित है। चिकित्सक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रकार की चोटें किसी व्यक्ति के गिर जाने अथवा मोटरसाइकिल से गिरने पर भी आना संभव है, इस प्रकार चिकित्सकीय साक्षी भी अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन करने में असमर्थ रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा कथित घटना में प्रयुक्त लाठी की कोई बरामदगी नहीं की गई। जबकि परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में लाठी से मारपीट करने का कथन किया है।

21. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए एवं उपरोक्त समस्त विवेचना के पश्चात अभियुक्त महेन्द्र कुमार को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

22. अतः अभियुक्त 01. महेन्द्र कुमार उर्फ अकी पुत्र शंकरलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी शिवनाथपुरा, पुलिस थाना सांचौर, जिला–जालोर को आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता** में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(भीम सिंह मीणा)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांचौर, जिला जालोर।

23. निर्णय आज दिनांक **26.05.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(भीम सिंह मीणा)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांचौर, जिला जालोर।